आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

सेवा अपीलवाद सं0–69/2018

कान्ति देवी

बनाम्

बिहार राज्य एवं अन्य

आदेश

15.12.2023

प्रस्तुत सेवा अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C N0. 10376/2014 विजेन्द्र कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य वाद में दिनांक 24.11.2017 को दिए गए आदेश के अनुपालन में इस स्तर पर लाया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नांकित है;

".....On the allegation of unauthorized absence, the order of punishment withholding three annual increments with cumulative effect has been inflicted upon the petitioner. The punishment order is dated 29.09.2010 and has been passed by the D.M. Gopalganj. The petitioner thereafter, preferred the appeal against the said order before the Commissioner, Saran Division, Chapra and by the impugned order the said appeal has been dismissed due to the petitioner non-appearance on several dates which have been mentioned in the impugned order dated 21.06.2013 passed by the Court of Commissioner, Saran Division, Chapra. From perusal of the said order it appears that while dismissing the petitioner's appeal a liberty has been granted to apply for fresh restoration of appeal.

In view of the aforesaid liberty granted by the appellate order which has been challenged by the petitioner, there is no scope for any interference in the order impugned, The writ petition is accordingly dismissed.

However, it will be open to the petitioner to avail his remedy in accordance with Law."

2. प्रस्तुत वाद का विषय-वस्तु यह है कि स्व0 बिजेन्द्र सिंह, तत्कालीन पंचायत सचिव के विरूद्ध प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हथुआ के पत्रांक–1164, दिनांक 27.07.2007 द्वारा आदेश अवहेलना, स्वेच्छाचारिता, सरकारी सेवक के लिए निर्धारित सेवा शर्तो की उपेक्षा तथा सरकारी नितियों को विफल करने का आरोप लगाते हुए प्रपत्र–'क' में आरोप पत्र का गठन करते हुए जिला पंचायत शाखा, समाहरणालय, गोपालगंज को उपलब्ध कराया गया। प्राप्त आरोप-पत्र के आधार पर विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास

Scanned with CamScanner

अभिकरण, गोपालगंज को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। इस क्रम में निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोपालगंज-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 69/नि0गो0, दिनांक 13.03.2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन, अपीलकर्त्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य के आलोक में अपीलकर्त्ता से द्वितीय कारण-पृच्छा की मांग की गयी। अपीलकर्त्ता द्वारा द्वितीय कारण-पृच्छा प्रस्तुत किया गया। विभागीय कार्यवाही के जॉच प्रतिवेदन में अपीलकर्त्ता के विरूद्ध अनुशासनहीनता, सरकारी कार्य के निष्पादन में शिथिलता बरतने एवं आदेश अवहेलना के आरोप को प्रमाणित पाते हुए जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के आदेश ज्ञापांक 1094, दिनांक 29.09.2010 द्वारा अपीलकर्त्ता का तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे सेवा अपीलवाद सं0- 26-39/2010 के रूप में संस्थित करते हुए मामले की सुनवाई प्रारम्भ की गयी। इस क्रम में दिनांक 20.03.2013 को पारित आदेश में अपीलकर्त्ता के लगातार अनुपस्थिति के आधार पर वाद की सुनवाई समाप्त कर दी गयी। आयुक्त न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष C.W.J.C No. 10376/2014 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 24.11.2017 को पारित आदेश के आलोक में आयुक्त न्यायालय के समक्ष सेवा अपीलवाद सं0- 69/2018 दायर करते हुए सुनवाई प्रारम्भ की गयी है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार पूर्वक सुना।

3. अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए सर्वप्रथम कहा गया कि वर्त्तमान अपीलकर्त्ता श्रीमती कान्ति देवी, स्व0 विजेन्द्र कुमार, तत्कालीन पंचायत सेवक, प्रखण्ड-हथुआ, जिला-गोपालगंज की पत्नी है। आरोपित तत्कालीन पंचायत सेवक प्रखण्ड-हथुआ, जिला-गोपालगंज में तत्समय आयोजित बैठक में अनुपस्थित रहे थे, उनकी अनुपस्थिति के कारण कतिपय प्रतिवेदन वरीय पदाधिकारियों के समक्ष समर्पित नहीं किए जा सके थे। उक्त आरोप के लिए स्व0 विजेन्द्र कुमार सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपो को अप्रमाणित पाते हुए अनुशासनिक प्राधिकार को प्रतिवेदित किया गया। परन्तु अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय कार्यवाही के जॉच प्रतिवेदन पर समुचित विचार नहीं किया गया तथा आरोपित पंचायत सेवक के विरूद्ध तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि विभागीय

Scanned with CamScanner

कार्यवाही के जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदन नहीं किया गया है, फिर भी अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा दण्डादेश पारित किया जाना समुचित नहीं है।

उक्त के आधार पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के प्रश्नगत ज्ञापांक 1094, दिनांक 29.09.2010 द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाय तथा प्रस्तुत अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

4. विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा वाद के बिन्दुओं के विषय में बताया गया कि स्व0 विजेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन पंचायत सेवक के विरूद्ध आदेश अवहेलना, स्वेच्छाचारिता, सरकारी सेवक के लिए निर्धारित सेवा शर्तो की उपेक्षा तथा सरकारी नितियों को विफल करने का प्रयास के आरोप में लिए विभागीय कार्यवाही का संचालन प्रारम्भ किया गया, जिसमें निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोपालगंज को संचालन पदाधिकारी, नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 69/नि0गो0, दिनांक 13.03.2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में अंकित किया है कि;

"..... अनुपस्थिति के आधार पर गठित आरोप-पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है यदि उक्त अवधि का वेतन ही आरोपी को कार्य एवं कर्त्तव्य पर मानकर गठित करने वाले पदाधिकारियों द्वारा स्वयं भुगतान कर दिया गया है। लेकिन आरोपी के स्पष्टीकरण के सिंहावलोकन से वे कार्य के प्रति पूर्ण साकांक्ष नहीं रहे है।"

विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया कि संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आलोक में आरोपित कर्मचारी से द्वितीय स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है तथा उक्त पर विचारोपरांत ही दण्डादेश पारित किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को विस्तार पूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजात और जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के प्रश्नगत आदेश का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुनने तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कंडिका-3 में यह स्वीकार किया गया है कि स्व0 बिजेन्द्र कुमार सिंह अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहें थे, जिसके परिणाम स्वरूप कई महत्वपूर्ण प्रतिवेदन वरीय पदाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत नही किया जा सका था। उक्त के अवलोकन एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन से स्व0 बिजेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन पंचायत सचिव के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित पाये जाते है।

Scanned with CamScanner

उपर्युक्त स्थिति के आलोक में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के ज्ञापांक 1094, दिनांक 29.09.2010 द्वारा पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता न पाते हुए उसे यथावत रखा जाता है।

तदनुसार, प्रस्तुत वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

Scanned with CamScanner